संख्याः-234/एक-10-2026

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ, बहराइच, रामपुर, अमरोहा, हापुड, संतकबीरनगर, बागपत एवं महराजगंज।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 10-03-2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/ सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र सं0-1451/प्रशि0/पी0सी0टी0/2025-26 दिनांक 09.02.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर जनपद स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 2,93,42,500/- में से शासनादेश सं0-916/एक-10-2025 दिनांक 04.09.2025 द्वारा माह सितम्बर, 2025 में भूकम्प आपदा के प्रति संवेदनशील 34 जनपदों में Earthquake Industrial (Chemical) and Fire Hazards विषय पर

आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज हेतु सम्बन्धित 33 जनपदों को रू0 50,000/- प्रति जनपद की दर से एवं जनपद मेरठ को रू0 4,00,000/- की धनराशि अर्थात कुल धनराशि रू0 20,50,000/- आवंटित की गयी है। उक्त शासनादेश में जनपदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष जनपद मेरठ, बहराइच, रामपुर, अमरोहा, हापुड़, संतकबीरनगर, बागपत एवं महराजगंज से प्राप्त व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर व्यय की गयी अतिरिक्त धनराशि कुल रुपये 3,51,748 /- (रुपये तीन लाख इक्यावन हजार सात सौ अढतालीस मात्र) सम्बंधित 8 जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश सं0-916/एक-10-2025 दिनांक 04 सितम्बर 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर जनपद स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/ सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 2,93,42,500/- में से माह सितम्बर, 2025 में भूकम्प आपदा के प्रति संवेदनशील 34 जनपदों में Earthquake Industrial (Chemical) and Fire Hazards विषय पर आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज हेतु सम्बन्धित 33 जनपदों को रू0 50,000/- प्रति जनपद की दर से एवं जनपद मेरठ को रू0 4,00,000/- की धनराशि अर्थात कुल रू0 20,50,000/- की धनराशि आवंटित की गयी है।

3- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 10.03.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर जनपद स्तर पर प्राधिकरण के

पत्र दिनांक 09.02.2026 में उल्लिखित विवरणानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/ सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से स्वीकृत धनराशि रु0 2,93,42,500/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 2,50,92,500/- में से माह सितम्बर, 2025 में भूकम्प आपदा के प्रति संवेदनशील 34 जनपदों में Earthquake Industrial (Chemical) and Fire Hazards विषय पर आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज में सम्बन्धित 8 जनपदों द्वारा व्यय की गयी निम्नलिखित विवरणानुसार अतिरिक्त धनराशि रू0 3,51,748/- (रुपये तीन लाख इक्यावन हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

क्र0सं0	जनपद	धनराशि (रुपये में)
1.	मेरठ	1,27,996/-
2.	बहराइच	51,942/-
3.	रामपुर	50,000/-
4.	अमरोहा	44,820/-
5.	हापुड़	32,020/-
6.	संतकबीरनगर	30,015/-
7.	बागपत	9,045/-
8.	महराजगंज	5,910/-
कुल		3,51,748/-
(रुपये तीन लाख इक्यावन हजार सात सौ अड़तालीस मात्र)		

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध-</u>

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-

02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग /उपभोग/ समर्पण/ वितरण के समबन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलव्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार

उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय रू0 3,51,748/- (रुपये तीन लाख इक्यावन हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
KULDEEP SINGH
Date: 10-03-2026
12:01:47

(कुलदीप सिंह)

उप सचिव।

संख्या:-234(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, वजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Sushil Kumar
Date: 10-03-2026
12:57:20

(सुशील कुमार)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-13/03/2026

प्रेषण संख्या:- 234
आवंटन आदेश संख्या:- 002-234
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	127996 994790	127996 994790
2	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 399234	50000 399234
3	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	51942 288942	51942 288942
4	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5910 597960	5910 597960
5	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30015 190850	30015 190850
6	बागपत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9045 59045	9045 59045
7	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	44820 94820	44820 94820
8	हापुड़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	32020 317020	32020 317020
	योग	वर्तमान प्रगामी	351748 2942661	351748 2942661

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन लाख इक्यावन हजार सात सौ अड़तालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उन्तीस लाख बयालीस हजार छः सौ इकसठ

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी